-1-

5 रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी 300-II-15

33

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2015 निगरानी

दिनांक 6-2-15 को श्री आर० प्रसाद संगर अभि० द्वारा प्रस्तुत। 6-2-15

R. s. sengar
आर-एस. सेंगर
एडवोकेट
6-2-15

1. रोहिणी प्रसाद पुत्र स्व. मोतीलाल
2. रामगोपाल पुत्र स्व. मोतीलाल
3. लक्ष्मी प्रसाद पुत्र स्व. मोतीलाल
4. रामकुमार पुत्र स्व. मोतीलाल

समस्त निवासीगण ग्राम पिपरा नारायण पुरा तहसील सिमरिया जिला पन्ना म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

1. मुलायम बाई पत्नी रंगलाल दुबे निासी ग्राम पिपरा नारायण पुरा तहसील पवई जिला पन्ना म.प्र.
2. ताराबाई पत्नी भगवतदीन निवसी पिपरा नारासयण पुरा तहसील सिमरिया जिला पन्ना
3. बेटीबाई पत्नी रमाकांत निवासी ग्राम कुंवरपुरा तहसील पवई जिला पन्ना म.प्र.

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील पवई जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/ अ– 6 / 2013– 14 अपील में बंटवारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11.12.2014 के विरूद्व निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, विवादित भूमि कुल किता 40 रकवा 16.96 हेक्टर स्थित ग्राम पिपरा नारायणपुरा तहसील सिमरिया जिला पन्ना में होकर उसके भूमि

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 300 / I / 2015 निगरानी — जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–1–2017	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेंगर उपस्थित, अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील पवई, जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 22 / अपील / अ–6 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / प्रकरण का सारॉश यह है कि, ग्राम पिपरा नारायणपुरा तहसील सिमरिया, जिला पन्ना में स्थित भूमि कुल किता 40 रकवा 16.96 हैक्टर भूमि के पूर्व भूमिस्वामी स्व. मोतीलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद दुवे थें मोतीलाल वर्ष 1988 में फौत हो जाने के पश्चात आवेदकगण की मॉ पानबाई एवं आवेदकगण का फौती नामांतरण स्वीकार किया गया। पानबाई दिनांक 22–5–2010 को फौत हो जाने से नायब तहसीलदार सिमरिया द्वारा उक्त भूमि पर वैध उत्तराधिकारी आवेदकगण का नामान्तरण पंजी कमांक–9 आदेश दिनांक 11–7–2013 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नामान्तरण एवं बंटवारा आदेश के विरूद्ध संयुक्त रूप से अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 7–3–2014 पारित कर अनावेदकगण को प्रथक–प्रथक अपील प्रस्तुत करने का	

निर्देश दिया गया जिसके पालन में अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 22/अपील/अ–6/2013–14 पर दर्ज की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 11–12–2014 पारित कर विलम्व छमा करते हुये उक्त अपील को समय सीमा में मान्य किया गया है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण नायब तहसीलदार सिमरिया की नामान्तरण पंजी कमांक–9 आदेश दिनांक 11--7–2013 से प्रारंभ हुआ जिसमें विवाद ग्राम पिपरा नारायणपुर तहसील सिमरिया की विवादित आराजी से संबंधित है। नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर, आवेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा स्वंय को मृतिका का वारिस बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नायब तहसीलदार के आदेश की जानकारी कम्प्यूटर से खसरे एवं खतौनी की नकल दिनांक 2–8–2013 को प्राप्त होना दर्शाया जाकर, विलम्व से अपील प्रस्तुत की गई है जिसके साथ धारा–5 अवधि विधान के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्व का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया, इस संबंध में 1989 आर. एन. 243 गोदावरी बाई बनाम विमलाबाई, ए.आई.आर. 1962 सुप्रीम कोर्ट 361 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि– धारा–5 विलम्व के लिए माफी देना प्रत्येक दिन के विलंम का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पर्याप्त कारण सावित नहीं। पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलंव क्षमा नहीं किया जा सकता। इस

संबंध में 2000 आर. एन. 153 हरी सिंह विरूद्ध दुल्ला में निम्न न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–

धारा–5 विलंव की माफी ध्यान दिया जाना चाहियें कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जायें तथा अन्य का अहित नहीं हो।

धारा–5 अधिनियम के उपबंध उद्वेश्य जिस पक्षकार के पक्ष में विनिश्चय है उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो विलंव की माफी से ऐसी अंतिमता समाप्त हो सकती है।

इन सभी तथ्यों पर विचार किये बगैर अनुविभगीय अधिकारी ने विधि विरूद्ध तरीके से आदेश दिनांक 11–12–2014 पारित कर अनावेदकगण की अपील में विलम्व छमा किया जाकर, अपील समय सीमा में मान्य की है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील पवई, जिला पन्ना द्धारा प्रकरण कमांक 22/अपील/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर, नायब तहसीलदार सिमरिया की नामान्तरण पंजी कमांक–9 आदेश दिनांक 11–7–2013 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर